

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2025/482/32

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रबंध संकाय अन्तर्गत व्यवसाय प्रशासन के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

व्यवसाय प्रशासन अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	प्रो. अतुल पाण्डेय आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
28(2) दो	1.	डॉ. प्रीती त्रिपाठी(द्विवेदी) विभागाध्यक्ष विन्ध्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च सतना(म.प्र.)
	2.	रिक्त
28(2) तीन	1.	रिक्त
28(2) चार	1.	डॉ. रुद्रप्रताप सिंह विभागाध्यक्ष विन्ध्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च सतना(म.प्र.)
	2.	रिक्त
28(2) पाँच	1.	डॉ. शेषपाल नामदेव सहायक प्राध्यापक अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	श्री निर्मय माहौर सहायक प्राध्यापक अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत प्रो. अतुल पाण्डेय को व्यवसाय प्रशासन अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)